राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 अक्तूबर, 2009/4 कार्तिक, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

6*th October*, 2009

No. EDN-A-Ga(10)-3/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Grant-in-aid to Non Government Colleges Rules, 2008 notified vide this department notification No. EDN-A-Ga-(10)-5/98 dated 16th March, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 24th March, 2008.

1. Short Title.—These rules may be called the Himachal Pradesh *Grant-in-aid* to non-Government Colleges (2nd Amendment) Rules, 2009.

2. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the Himachal Pradesh Grant-in-aid to non Government Colleges Rules, 2008, after first proviso the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that colleges which were getting Grant-in-aid under the Himachal Pradesh Non-Government Affiliated Colleges *Grant-in-aid* Rules, 1994 shall be provided Grant-in-aid only for those teaching and non-teaching staff for whom *grant-in-aid* was being provided prior to notification of Himachal Pradesh *Grant-in-aid* to non-Government Colleges Rules, 2008 and the amount of annual *Grant-in-aid* to these colleges shall be restricted up to the amount of annual *Grant-in-aid* provided against each of these teaching and non-teaching staff in these colleges prior to 31-3-2008. On accrual of any incremental and other benefits after 31-3-2008, no additional Grant-in-aid shall be provided to these colleges. Further, the Grant-in-aid shall be reduced as and when the staff gets retired.

Provided further that the *Grant-in-aid* shall be provided *w.e.f.* 1-4-2008".

By Order,
P.C. DHIMAN,
Pr. Secretary.

प्राारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 22 अक्तूबर, 2009

संख्या ई.डी.एन.–सी–ए (3)–12/2007–लूज.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक वर्ग–**III** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 17–4/69–एजु0–।। तारीख 28–12–1973 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमैंट क्लास–III (स्कूल एण्ड इन्सपैक्शन काडर) सर्विस रूल्ज,1973 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक ये प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद से सम्बन्धित है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नियमित/संविदात्मक) वर्ग–III, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक

2. **पदों की संख्या.**––14224 (चौदह हजार दो सौ चौबीस)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–III (अराजपत्रित)।

4. **वेतनमान.––(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान**––5480–160–5800–200–7000–220–8100–275–8925 रुपये ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.––8220/– रुपए (स्तम्भ संख्या 15–क में दिये गये ब्यौरे के अनुसार)।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**––अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुकुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——

अनिवार्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता.——प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला).——अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय सहित और स्नातक के सभी तीन वर्षों में निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ कला स्नातक/शिक्षा स्नातक/प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक हों:–

(i) हिन्दी
(ii) अर्थशास्त्र
(iii) गणित
(iv) इतिहास
(v) राजनीतिक विज्ञान
(vi) भूगोल
(vii) समाज विज्ञान
(viii) संस्कृत
(ix) लोक पशासन
या

इस शर्त के साथ उपरोक्त किन्हीं विषयों में बी0ए0(ऑनर्ज) कि अभ्यर्थी ने अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण की है और स्नातक और शिक्षा स्नातक के सभी दो वर्षों में उपरोक्त विषयों में से कोई पूरक विषय के रूप में लिया हो।

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मैडिकल).––विज्ञान स्नातक/शिक्षा स्नातक/प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक।

विज्ञान स्नातक/प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक की उपाधि निम्नलिखित विषय के संयोजन सहित होनी चाहिए :–

(i) संयोजक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित सहित पास कोर्स ।
या
(ii) पूरक विषयों के रूप में रसायन विज्ञान और गणित सहित भौतिक विज्ञान में ऑनर्ज कोर्स ।
या
(iii) पूरक विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और गणित सहित रसायन विज्ञान में ऑनर्ज कोर्स ।
या
(iv) पूरक विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सहित गणित में ऑनर्ज कोर्स ।

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (मैडिकल).——विज्ञान स्नातक/शिक्षा स्नातक/प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक ।

विज्ञान स्नातक/प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक की उपाधि निम्नलिखित विषय के संयोजन सहित होनी चाहिए :–

(i) रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान सहित पास कोर्स ।
या

(ii) पूरक विषयों के रूप में रसायन विज्ञान और प्राणी विज्ञान सहित वनस्पति विज्ञान में ऑनर्ज ।
या

(iii) पूरक विषयों के रूप में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान सहित रसायन विज्ञान में ऑनर्ज ।
या

(iv) पूरक विषयों के रूप में रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सहित प्राणी विज्ञान में ऑनर्ज

वांछनीय अर्हता.——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.—— आयु.——लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.——हां ।

9. परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो.——दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति.——भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.——(i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (पन्द्रह प्रतिशत जे0बी0टी0 से तथा दस प्रतिशत सी0 एण्ड वी0 में से)

(ii) यथास्थिति, पचहत्तर प्रतिशत निम्नलिखित रीतियों में सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा :–

(क) 37.5 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवायें बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से।
(ख) 37.5 प्रतिशत बैच–बाईज आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.——(i) पन्द्रह प्रतिशत सेवारत जे बी0 टी0 में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगतार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ;

(ii) दस प्रतिशत सेवारत सी0 एण्ड वी में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ;

पदों को भरने हेतु निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण किया जायेगा :–

(1) पहला पद जे0बी0टी0
(2) दूसरा पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(3) तीसरा पद बैचवाईज माध्यम से
(4) चौथा पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(5) पांचवां पद बैचवाईज माध्यम से
(6) छठवां पद सी0 एण्ड वी0
(7) सातवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोडेर्ड के माध्यम से
(8) आठवा पद बैचवाईज माध्यम से
(9) नौवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(10) दसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(11) ग्यारहवां पद जे0बी0टी0
(12) बारहवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(13) तेहरवां पद बैचवाईज माध्यम से
(14) चौदहवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(15) पन्द्रहवां पद बैचवाईज माध्यम से

(16) सोलहवां पद सी0 एण्ड वी0
(17) सतरहवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(18) अठारहवां पद बैचवाइज माध्यम से
(19) उन्नीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(20) बीसवां पद जे0बी0टी0
(21) इक्कीसवां पद जे0बी0टी0
(22) बाईसवां पद बैवाईज माध्यम से
(23) तेईसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(24) चौबीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(25) पच्चीसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(26) छब्बीसवां पद सी0 एण्ड वी0
(27) सत्ताईसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(28) अठाईसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(29) उनतीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(30) तीसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(31) इकतीसवां पद जे0बी0टी0
(32) बत्तीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(33) तैतीसवां पद बैचवार्ज माध्यम से
(34) चौतीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(35) पैंतीसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(36) छत्तीसवां पद सी0एण्ड वी0
(37) सैतीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(38) अडतीसवां पद बैचवाईज माध्यम से
(39) उनतालीसवां पद हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से
(40) चालीसवां पद जे0बी0टी0

टिप्पण.––रोस्टर प्रत्येक चालीसवें पद के पश्चात् तब तक चक्रानुचक्रित किया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाचं वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुगर्म क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह—भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ

वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.–– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादी, सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः–

(**I**) **संकल्पना.––**(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.––निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को 8220/ रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 160/–रुपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक

परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8220/–रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 160/–रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———————

उपाबन्ध– "ख"

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूरूप

यह करार श्री/श्रीमति... पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी...,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में.......... से प्रारम्भ होने अैर................ को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्...................... दिन को स्वयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8220/– रुपए प्रतिमास होगी । अवकाश की अवधि के लिए कोई रकम संदत्त नहीं की जाएगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव

होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-CA(*3)12/2007-*L*, *dated* 22*nd October*, 2009 *required under clause (*3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*.]

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
(Education-C)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 22*nd October*, 2009

No. EDN-C-A(3)12/2007-L.—In exercise of the powers conferred by *proviso* to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Trained Graduate Teacher, (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:-

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Trained Graduate Teacher, (Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Education department Class-III (School and Inspection Cadre) Services Rules, 1973, issued *vide* Notification No.17-4/69-Edu-II, dated 28-12-1973, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Trained Graduate Teacher.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Orders,
Sd/-
Principal Secretary.

ANNEXURE-A

Recruitment & Promotion Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Regular / Contract)(Class-III, Non-Gazatted) in the Department of Elementary Education ,Himachal Pradesh.

1. Name of the post.— Trained Graduate Teacher.

2. Number of posts.— 14224
(Fourteen thousand two hundred twenty four).

3. Classification.—Class-III (Non- Gazetted).

4. Scale of Pay.—Pay scale for regular incumbents.—5480-160-5800-200-7000-220-8100-275-8925.

Emoluments for contract employees.—Rs.8220 (as per details given in column No.15-A).

5. Whether selection post or non selection post.—Non-selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Govt. including those who have been appointed on *ad-hoc* basis or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on *ad-hoc* basis or on contract basis had become over age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of this ad-hoc or contract appointment;

Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled Caste /Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Govt.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servant. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

(1) Age limit for Direct Recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and the experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruitment authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualification required for direct recruits.— *ESSENTIAL ACADEMIC & PROFESSIONAL QUALIFICATION:—*

TRAINED GRADUATE TEACHER (ARTS).—B.A.B.Ed/ B.El.Ed. with English as an elective subject and any two of the following subjects in all the three years of Graduation:—

(i) Hindi
(ii) Economics
(iii) Mathematics
(iv) History
(v) Political Science
(vi) Geography
(vii) Sociology
(viii) Sanskrit
(ix) Public Administration.
Or
B.A.(Honours) in any of the above subjects with the condition that the candidate must have passed English as an elective subject and has taken any of the above subject as subsidiary subject in all the two years of Graduation and B.Ed.

TRAINED GRADUATE TEACHER (NON -MEDICAL).—B.Sc. B.Ed./B.El. Ed.

The B.Sc./B.El.Ed. Degree should have been with the following subject combinations:—

(i) Pass course with Physics ,Chemistry & Math as combination subject.
or
(ii) Honours course in Physics with Chemistry and Math as subsidiary subjects
or

(iii) Honours course in Chemistry with Physics and Math as subsidiary subjects
or
(iv) Honours course in Math with Physics and Chemistry as subsidiary subjects

TRAINED GRADUATE TEACHER(MEDICAL).—B.Sc.B.Ed./B.El.Ed.

The B.Sc./B.El.Ed. Degree should have been with the following subject combinations:—

(i) Pass course with Chemistry, Botany & Zoology.
or
(ii) Honours in Botany with Chemistry & Zoology as subsidiary subjects.
or
iii) Honours in Chemistry with Botany & Zoology assubsidiary subjects.
or
(iv) Honours in Zoology with Chemistry & Botany as subsidiary subjects.

(b) **Desirable Qualification.—**Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.—Age.—N.A.

Educational Qualification.—Yes.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year, as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and percentage of posts to various methods.—(i) 25% by Promotion(15% from JBT & 10% from C&V).

(ii) 75% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis as the case may be in the following manners:-

(a) 37.5 % through HPSSSB, Hamirpur
(b) 37.5 % by batch-wise basis.

11. In case of recruitment by promotion,deputation,transfer grade from which promotion /deputation / transfer is to be made.—(i)15% by promotion from amongst the in service JBTs possessing the educational qualification as prescribed in Col No.7 above, with at least five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade.

(ii) 10% by promotion from amongst the in service C&Vs possessing the essential educational qualification as prescribed in Col. No.7 above, with at least five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered , if any in the grade.

For filling up the posts the following roster shall be followed:-

(1) 1st post JBT
(2) 2nd post through HPSSSB

(3) 3rd post through Batchwise
(4) 4th post through HPSSSB.
(5) 5th post through Batchwise
(6) 6th post C&V
(7) 7th post through HPSSB
(8) 8th post through Batchwise
(9) 9th post through HPSSSB
(10) 10th post through Batchwise
(11) 11th post JBT
(12) 12th post through HPSSSB
(13) 13th post through Batchwise
(14) 14th post through HPSSSB
(15) 15th post through Batchwise
(16) 16th post C&V
(17) 17th post through HPSSSB
(18) 18th post through Batchwise
(19) 19th post through HPSSSB
(20) 20th post JBT
(21) 21st post JBT
(22) 22nd post through Batchwise
(23) 23rd post through Batchwise
(24) 24th post through HPSSSB
(25) 25th post Batchwise
(26) 26th post C&V
(27) 27th post through HPSSSB
(28) 28th post through Batchwise
(29) 29th post through HPSSSB
(30) 30th post through Batchwise
(31) 31st post JBT
(32) 32nd post through HPSSSB
(33) 33rd post through Batchwise
(34) 34th post through HPSSSB
(35) 35th post through Batchwise
(36) 36th post C&V
(37) 37th post through HPSSSB
(38) 38th post through Batchwise
(39) 39th post through HPSSSB
(40) 40th post JBT

Note.—The roster will be rotated after every 40th post till the representation to all the categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy is to be filled-up from the category which vacates the post.

A (1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one time in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with her/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba district.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyoi-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada- Gusaini,Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil,Chiuni,Kalipar,Mangarh, Thach-Bagra,North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

B(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules :-

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including service rendered on adhoc basis, followed by regular service /appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent (s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person (s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provision of rule -3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in H.P. State Non-Technical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule -3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the H.P. Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

12. If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumtances under which the HPPSC Shimla is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for Appointment for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority .

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these reules,contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Trained Graduate Teacher in the Department of Elementary Education H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC /HPSSSB.—**The Director, Elementary Education after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Trained Graduate Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual emoluments @ Rs. 8220/-P.M.(which shall be equal to initial pay scale + Dearness Pay). An amount of Rs.160/- (equal to annual increment in the minimum initial start of the pay scale of the post) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Elementary Education , Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined

by the concerned recruiting Agency i.e HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD or any other recruiting agency as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting Agency i.e. HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD /any other recruiting agency from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8220/- P.M (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 160/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day Casual Leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract employees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary of expedient to do so , it may , by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Service Commission Shimla, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE TRAINED GRADUATE TEACHER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR OF ELEMENTARY EDUCATION.

This agreement is made on this ____________________ day of______________________ in the year _________________Between Sh./Smt.______________________________________ S/o/D/oSh.____R/O_____________ ____.

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as TGT on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Trained Graduate Teacher for a period of 1 year commencing on day of______________ and ending on the day of__________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on______________________ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8220/-per month. No amount will be paid for vacation period.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Trained Graduate Teacher will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual TGT. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual TGT will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to got on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ______________________
____
____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ______________________
____
____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

3. ______________________
____
____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

4. ______________________
____
____
(Name and Full Address)

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 24 अक्तूबर, 2009

संख्याः 3–28/2009–ई0एल0एन0.– निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप–नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व–साधारण की सूचनार्थ किया जाता है:––

प्ररूप 7–क

{नियम 10(1) देखिए}

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

3—रोहड़ू सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
(1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1.	खुशी राम बालनाटाह	गांव अन्द्रेवठी डाकघर कुई तहसील रोहडू जिला शिमला (हि0प्र0)।	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2.	मनजीत सिंह ठाकुर	गांव कोटसारी डाकघर समोली तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
(2)	**रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)**			
	शून्य			
(3)	**अन्य अभ्यर्थी**			
3.	केवल राम नेगी	गांव जौंली डाकघर सुंगरी तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0प्र0)।	निर्दलीय	कप और प्लेट
4.	बिहारी लाल चौहान	गांव शिलादेश डाकघर लड़ोट तहसील चिढ़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)।	निर्दलीय	सिलाई की मशीन

स्थान : रोहड़ू
तारीख : 24—10—2009

रिटर्निंग आफिसर,
3—रोहड़ू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप 7—क

{नियम 10(1) देखिए}

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

36—जवाली सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
(1)	**मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी**			
1.	बलदेव राज	गांव बडूखर, डाकघर बहादपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2.	सुजान सिंह पठानिया	गांव हाड़ा, डाकघर व तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ

(2)	**रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)**			
			शून्य	
(3)	**अन्य अभ्यर्थी**			
3.	अशोक कुमार सोमल	गांव जुनाट, डाकघर बरूणा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।	निर्दलीय	रेल का इंजन
4.	मदन शर्मा	गांव व डाकघर सिहाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।	निर्दलीय	सिलाई की मशीन

स्थान : जवाली
तारीख : 24—10—2009

रिटर्निंग आफिसर,
36—जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

आदेश से

अनिल खाची,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

——————

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, *the* 24*th October*, 2009

No. 3-28/2009-ELN.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Election Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7-A

[*See Rule* 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye-Election to the Legislative Assembly from 3-Rohru Assembly Constituency

Sl No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i)	**Candidates of recognised National and State Political Parties.**			
1.	Khushi Ram Balnatah	Village Andhreothi P.O. Kui Tehsil Rohru District Shimla (H.P).	Bharatiya Janata Party	Lotus
2.	Manjit Singh Thakur	Village Kotsari P.O. Samoli Tehsil Rohru District Shimla (H.P).	Indian National Congress	Hand

(ii)	**Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)**			
		Nil		
(iii)	**Other Candidates.**			
3.	Kewal Ram Negi	Village Jaunli P.O. Sungri, Tehsil Rohru District Shimla (H.P).	Independent	Cup & Saucer
4.	Bihari Lal Chauhan	Village Shiladesh P.O. Larot Tehsil Chirgaon District Shimla (H.P).	Independent	Sewing Machine

Place : Rohru
Date : 24-10-2009

Returning Officer,
3- Rohru Assembly Constituency.

FORM 7-A

[SEE RULE 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye-Election to the Legislative Assembly from 36-Jawali Assembly Constituency

Sl No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i)	**Candidates of recognised National and State Political Parties**			
1.	Baldev Raj	Village Badukhar, P.O. Bahadpur, Tehsil Indora, District Kangra (H.P)	Bharatiya Janata Party	Lotus
2.	Sujan Singh Pathania	Village Hara, P.O. and Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P)	Indian National Congress	Hand
(ii)	**Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)**			
			Nil	
(iii)	**Other Candidates**			
3.	Ashok Kumar Somal	Village Junat, P.O. Baroona, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P)	Independent	Railway Engine
4.	Madan Sharma	Village & P.O. Sihal, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P)	Independent	Sewing Machine

Place : Jawali
Date : 24-10-2009

Returning Officer,
36- Jawali Assembly Constituency.

By order,
ANIL KHACHI
Chief Electoral Officer,
Himachal Pradesh.

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अक्तूबर, 2009

संख्या शिक्षा–II (छ) 6–3/2004–खण्ड–II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में उर्दू भाषा अध्यापक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–""क"" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, उर्दू भाषा अध्यापक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 17–4/69–उर्दू –II, तारीख 28 दिसम्बर, 1973 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, शिक्षा विभाग वर्ग–III (स्कूल एण्ड इन्सपैकशन कैडर) सर्विसीज भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1973 का एतद् द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक में उर्दू भाषा अध्यापक से संवद्ध है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्तिगत या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हसताक्षरित/–
प्रधान सचिव ।

————————

उपाबन्ध–"क

हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में उर्दू भाषा अध्यापक वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.——उर्दू भाषा अध्यापक

2. पदों की संख्या.——100 (एक सौ)

3. वर्गीकरण.——वर्ग–III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.——(1) वेतनमान नियमित उर्दू अध्यापक : 5000–160–5800–200–7000–220–8100 रुपए।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 7500 रुपए प्रतिमास (स्तंभ संख्या 15–क (ii) में दिए व्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद : लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आय.——18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो,, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः।

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर, निगम तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती संविदा नियुक्ति किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में बी0 ए0 के लिए अपेक्षित न्यूनतम (ऑनर्स) सहित बी0 टी0/बी0 एड0 या उर्दू में शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––स्नातकोतर ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु.––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.––हां ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जा सकेगा.––लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनां.––लागू नहीं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन शिक्षा विभाग में उर्दू भाषा अध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, के कार्यक्षेत्र में आनाः निदेशक, उच्चतर शिक्षा, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त उर्दू भाषा अध्यापक को 7500/– रुपए की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो उतरवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 160/–रुपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारंभिक आरंभ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,हमीरपूर द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7,500/–रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारिम्भक महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति और बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में प्रतिवर्ष 160/– रुपए की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाए जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचारण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यो के सम्बन्ध के दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी की नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

16. आरक्षण.—— सेवा में नियुक्ति,हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.——लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा क्रना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल रुकेगी ।

————————

उपाबन्ध–"ख"

उर्दू भाषा अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उच्चतर शिक्षा के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी...,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उर्दू भाषा अध्यापक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:——

1. यह कि प्रथम पक्षकार उर्दू भाषा अध्यापक के रूप में................. से प्रारम्भ होने और.............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्......................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7,500/– रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि उस रिक्ति के विरुद्ध, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, कोई नियमित पदधारी नियुक्ति/तैनात किया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक उर्दू भाषा अध्यापक (पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक उर्दू भाषा अध्यापक (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई, अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक उर्दू भाषा अध्यापक (पद का नाम) कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी की वेतनमान के न्यूनतम पर नियमित प्रतिस्थानी, (पद का नाम) को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of Notification No. Shiksha-II(Chha)*6-3/2004-*Vol. II dated as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 23*rd October*, 2009

No. Shiksha-II(Chha)6-3/2004-Vol. II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Urdu Language Teacher Class-III (Non-Gazetted) in the Higher Education Department, Himachal Pradesh,as per Annexure “A”attached to this Notification,namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Urdu Language Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Education Department, Class-III (School and Inspection Cadre) Services, Recruitment and Promotion Rules, 1973 notified vide this Department Notification No. 17-4/69-Edu.II Dated 28th December, 1973 are hereby repealed, to the extent these pertains to the Urdu Teacher.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTIONS RULES FOR THE POSTS OF URDU LANGUAGE TEACHER IN THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—URDU LANGUAGE TEACHER

2. Number of Posts.—100 (One Hundred)

3. Classification.—Class-III (None Gazetted).

4. Scale of Pay.—*(i) Pay Scale for regular Urdu Teacher.*—Rs. 5000-160-5800-200-7000-220-8100.

(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 7500/- per month. (As per detail given in Col. 15-A(II)

5. Whether Selection post of Non Selection.—N.A.

6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis.

Provided that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of this *adhoc* or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Caste/ Schedule Tribe/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector undertakings, Corporation and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector, Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants.This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector/Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh State Subordinate Selection Board in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment/ Contract appointment.—Should possess B.A. (Hons.) in Urdu with B.T/B.Ed. or M.A. in Urdu from recognized University.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age.—N.A.

Educational qualification.—N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority for reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

13. Circumstances under which the HPPSC/HPSSB is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15-A. Selection for appointment to the posts by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy the Urdu Language Teacher in the Education Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) **Post falls within the purview of HPSSSB.—**The Director of Higher Education after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract bais will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Urdu Language Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 7500/- per month (Which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs. 160/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Higher Education H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS.—**Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis *vivavoce* test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the Standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* The Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7500/-P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale+ Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 160/- for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular Employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders instructions regarding reservation in the service for Schedule Caste/Schedule Tribe Other Backward Classes/ Other categories of Persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—N.A.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with HPPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Urdu Language Teacher (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through……………………(Designation of the Appointing Authority).

This ag reement is made on this…………………..day of…………..……..…in Year………………….Between…………….Shri/Smt…...…………S/o/D/o Shri………………… R/O…………………………………Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and The Governor of Himachal Pradesh through…………………………………...
(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Urdu Language Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Urdu Language Teacher (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of……………………………and ending on the day of……………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipsofacto stand terminated on the last working day *i.e.* on …………………….And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7500/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found.

4. Contractual Urdu Language Teacher (Name of the post) will be entitled for on day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Urdu Language Teacher (Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Contractual Urdu Language Teacher will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Urdu Language Teacher. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be givlen as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Urdu Language Teacher (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant of beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………...……
   …………………………………
   …………………………………
   (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. …………………...………..…
   ………………………………
   ………………………………
   (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ………………………………
   ………………………………
   ………………………………
   (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. ………………………………
   ………………………………
   ………………………………
   (Name and full Address)

NOTIFICATION

Dharmshala, the 23*rd October*, 2009

No. 2125-50 /LA.—In the exercise of powers vested in me under section 115 of Motor Vehicle Act,1988 read with Rules 194 and 196 of HP Motor Vehicles Rules,1999 by virtue of authorization by the State Govt.in this behalf,I,R.S.Gupta,IAS,District Magistrate Kangra at Dharmshala,do hereby prohibitory order in the interest of public safety or convenience of public at large and to avoid the traffic congestion in Kangra, Palampur and Dehra towns respectively in respect of plying of all heavy vehicles including goods carriages and passenger vehicles not to pass through main road leading to Kangra,Dehra and Palampur towns of District Kangra (between 8.00 A.M. to 8.00 PM) except such passenger vehicles which are plying on the prescribed routes. Such type of vehicles shall ply through the following bye passes that exists in Kangra District during the restricted hours as under :—

1. **Kangra Sub Division:**

Kangra-Kachhiari bye pass road, starting from RD No.218/600 of NH-88 (Namohal-Mataur) and touch with NH-20 (Kotla-Tharu) on RD No.81/500 at Kachhiari.

2. **Palampur Sub Division:**

Holta-Rajpur RD 0/0 to 3/345,Rajpur to Kalu-di-Hatti RD 3/345 to 4/330.

3. **Dehra Sub Division**:

SH No.22 RD from 85750 to 123/0 from Hanuman Chowk to NTC Chowk (Now notified as N.H.).

Any person desirous for plying heavy goods vehicle in these towns,during the above restricted period in connection with loading and unloading of any kind of material (urgent nature) will seek prior special written permission from the Sub Divisional Magistrate concerned.

These orders shall come into force with immediate effect.

By order,
Sd/-
Distt.Magistrate
Kangra at Dharmshala.

NOTIFICATION

Dharmshala, the 22*nd October,* 2009

No.TM-2117-24/LA.—In exercise of power vested in me under section 117 of Motor Vehicle Act, 1988 (59of 1988), I, R.S. Gupta, IAS, District Magistrate Kangra at Dharmshala do hereby notify the Jawali bus stand which is constructed on Khasra No. 1188/1, 1190/1 Kita 2 area measuring 0-48-52 Hect. Situated in Mohal Jawali District Kangra HP as a new Bus Stand for Jawali, Tehsil Jawali and District Kangra HP *w.e.f.* 15th August, 2009 from the date of its inauguration.

By order,
Sd/-
District Magistrate,
Kangra at Dharmshala.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
STATE OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

26th October, 2009

No.3-6/80-IV-32311.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of 4 days earned leave with effect from 12th to 15th October, 2009 in favour of Smt Veena Chauhan, Superintendent of this department with permission to avail prefix/suffice second Saturday, Sundays and Gazetted Holidays which fell on 10th,11th, 16th,17th and 18th October, 2009.

Certified that Smt. Veena Chauhan, Superintendent would have continued to officiate, but for her proceeding on 4 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that the said Smt. Veena Chauhan, Superintendent was likely, on expiry of leave to return for duty to the Station from where she proceeded on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

R.F.A. No. 276 of 2009.

Bhagwanti Oberoi Charitable Trust (Registered) & others . . *Appellant.*

Versus

The General Public

. . *Respondents.*

Notice to :

THE GENERAL PUBLIC

Take notice that an appeal against the judgment dated 22-5-2009 on this case has been presented by Shri C. P. Attari, Advocate and registered as above in this Court. This proclamation is hereby issued to the aforesaid respondent that the case will be listed before the Hon'ble Court on 9th November, 2009 at 10-00 A.M. (Actual Date) on which dare the respondent is required to appear either personally or through some duly authorized agent/pleader, failing which, *ex-parte* proceedings will be taken against the Respondent.

Given under my hand and the seal of this Court this 5th day of October, 2009.

Seal. Sd/-

Superintendent (Judicial),
High Court of H.P., Shimla-1.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला– 171 002, 25 अगस्त, 2009

संख्या : मुद्रण 2(बी) 2–9/93–II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्याः 2(बी) 2–9/93 मुद्रण तारीख 10.12.1998 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) वर्ग–I(राजपत्रित) (तकनीकी) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम,1998 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) वर्ग–I (राजपत्रित) (तकनीकी) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) वर्ग–I (राजपत्रित) (तकनीकी) भर्ती और प्रोन्नति, नियम 1998 के उपाबन्ध "क" में

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :–

"(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : **7220**-220-8100-275-10300-340-11660 रुपए।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 10830 रुपए प्रति मास "

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"**भर्ती की पद्धति.**—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :

(ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या भर्ती संविदा के आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

मुख्य अग्रणी (जनरल फोरमैन) में से, प्रोन्नति द्वारा जो दसवीं पास हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर मुख्य अग्रणी (जनरल फोरमैन) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका मुख्य अग्रणी (जनरल फोर मैन)/ हैडरीडर, सैक्शन होल्डर (मोनो), सैक्शन होल्डर (मुद्रण) सैक्शन होल्डर (कम्पोजिंग), सैक्शन होल्डर (कम्पयूटिंग), सैक्शन होल्डर (बाईंडिंग) का संयुक्त रूप में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त रूप से नियमित सेवाकाल हो जिसमें से मुख्य अग्रणी (जनरल फोर मैन) के रूप में दो वर्ष की आवश्यक सेवा का होना अनिवार्य है ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रर्वग में तर्दथ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात की गई थी,

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रर्वग/पद/ संर्वग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ट व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ।

परन्तु उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.——अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इसके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया हो और इसके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तर्दथ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तर्दथ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उर्पयुक्त निर्दिष्ट तर्दथ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

(ड) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 15–क जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी,

(I) संकल्पना.——(क) इस पॉलसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में सहायक नियन्त्रक (प्रिटिंग) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.——संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (मुद्रण), को 10830/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 220/–रुपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यून्तम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी,

(III) (नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).——सचिव, (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.——संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्क्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.——अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.——(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 10830/—रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 220/—रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/ प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ यन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपाबन्ध, जैसे कि एफ0 आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस सतम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव ।

————————

उपाबन्ध 'ख'

सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (मुद्रण एवं लेखन) सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव, (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................ को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने–सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरे शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार सहायक नियन्त्रक (मुद्रण)** के रूप में .... से प्रारम्भ होने और....... .... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.... .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 10,830/– रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सहायक नियन्त्रक (मुद्रण) कर्तव्य (डयूर्टी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

6 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखत तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति में :—

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English Text of this department Notification No: Mudran*2 *(B)* 2- 9/ 93– *II dated* 25-8-2009 *as required under clause (*3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 25*th August*, 2009

No: Mudran 2 (B)2-9/93 –II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Controller (Printing) Class-I (Gazetted) (Technical) Recruitment & Promotion Rules 1998, notified *vide* Notification No: 2(B)2-9/93 –Printing dated 10-12-1998, namely.—

1. Short title and commencement.—(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Controller (Printing) Class-I (Gazetted) (Technical), Recruitment and Promotion Rules (3rd amendment) 2009.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure "A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Controller (Printing) Class-I (Gazetted) (Technical) Recruitment & Promotion Rules, 1998.

(*a*) For the existing provisions against the Col No. 4 following shall be substituted, namely:

“(*i*) Pay scale for regular incumbent: Rs. 7220-220-8100-275-10300-340-11660 .

(*ii*) Emoluments for contract employees: Rs. 10830 P.M”

(*b*) For the existing title against the Col No.10 following shall be substituted namely.—

“Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and percentage of post (s) to be filled in by various methods.”

(*c*) For the existing provisions against Col.No.10, the following shall be substituted namely.—

100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(*d*) For the existing provisions against the Col. No.11, following shall be substituted namely.—

By promotion from amongst the Genral Foreman who are matriculate and possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any in the grade, failing which by promotion from amongst the General foreman who possesse five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as General Foreman, Head Reader/ Section Holder (Composing/Section Holder (Mono)/Section Holder (Printing) Section Holder (Computing) and Section Holder (Binding) combined out of which 02 years essential service must be as General Foreman.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to the above, all person senior to him/ her in the respective catergory/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration : Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post which ever is less,

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s)

junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of theEx-Servicemen (Rerservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules ,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder .

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *adhoc* services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules. Provided that inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account ,adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged

(e) After Col. No.15, following Col. No. 15-A Shall be added namely ;

15-A (Selection for appointment to the post by contract appointment).— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below ;—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Assistant Controller (Printing) in the Department of Printing & Stationery H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC :—The Secretary(Printing & Stationery) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post of Assistant Controller (Printing) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Controller (Printing) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 10830/- per month (which shall be equal to the initial of the pay scale plus Dearness Pay.) An amount of Rs. 220/- (equal to annual increase in the minimum/ initial start of the payscale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequents year(s) respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary, (Printing and Stationery) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of Contract Appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh.Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradehs Public Service Commission from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(*a*) The Contractual Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.10,830 /- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.220/- (equal to annual increase in the minimum/ initial start of the payscale of the post) per annum for further extended years, and no other allied benefit such as senior/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year No leave of any other kind will be admissible to the contractual appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically; lead to the termination of the Contract. The Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) Transfer of a contractual Appointee will not be permitted from one place to another.in any case.

(f) Selected candidate shall have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government/ Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stands temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

(g) Contract Appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minmum of pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, pension Rules & conduct Rules etc. as are applicable in case of regular emoplyees will not be applicable in case of contract employees. They will be entitled for emoluments etc. As detailed in this column.

By order,
Sd/-
Secretary.

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Controller (Printing) & the Government of Himachal Pradesh through—Secretary (Printing and Stationery) to the Government of H.P. (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on th……..day of…….. in the year…..Between…Sh/Smt.…………………………………S/o/D/o……………………………. Shri…………………R/o………………………………………………………………………… Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through –Secretary, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as **Assistant Controller (Printing) (Name of the post)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Assistant Controller (Printing) (Name of the post)** for a period of one year commencing on day of ……………………………………………..and ending on the day of ………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………… And information notice shall not be necessary.

2 . The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs. 10,830/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Assistant Controller (Printing) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the Contractual Assistant Controller (Printing). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contractual Assistant Controller (Printing) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………..….
…………………………………………
…………………………………………
(Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

2. ……………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
(Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

2. ………………………….…………..
…………………………………………
…………………………………………
(Name and full Address)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित